संख्या–2832 / 33–3–2007–335 / 2006

प्रेषक,

आर0के0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज,
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 28 दिसम्बर, 2007

विषयः– पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बैकवर्ड रीजन ग्रान्ट फन्ड) का क्रियान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बैकवर्ड रीजन ग्रान्ट फन्ड) वर्ष 2007–08 से प्रदेश के 34 जनपदों में चलायी जानी है। यह योजना पूर्व में ग्राम विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 21 जनपदों– आजमगढ़, बांदा, बाराबंकी, चन्दौली, चित्रकूट, फतेहपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सीतापुर, सोनभद्र व उन्नाव– में चलायी जा रही राष्ट्रीय सम विकास योजना को संविलियन करके चलायी जायेगी। उक्त के अतिरिक्त पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि में चयनित 13 नये जनपद– अम्बेडकर नगर, बहराइच्च, रामपुर, बस्ती, बदायूँ, एटा, फर्रुखाबाद, गोण्डा, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, सन्त कबीर नगर, श्रावस्ती व सिद्धार्थनगर– है।

2– प्रदेश में उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु श्री राज्यपाल निम्नानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) पचायती राज विभाग को योजना के क्रियान्वयन के लिये नोडल विभाग नामित किया जाता है।

(2) योजनान्तर्गत जिला योजना समिति द्वारा तैयार की गयी जिला योजनाओं के अनुमोदन के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च शक्ति प्राप्त समिति का निम्नवत् गठन किया जाता है —

1.	मुख्य सचिव, उ0प्र0	अध्यक्ष
2.	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन	उपाध्यक्ष
3.	प्रमुख सचिव, पंचायती राज उ0प्र0 शासन	सदस्य–सचिव
4.	प्रमुख सचिव, नगर विकास उ0प्र0 शासन	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग उ0प्र0 शासन	सदस्य
6	प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग उ0प्र0 शासन	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन	सदस्य
8.	पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
9.	योजना आयोग में उ0प्र0 के राज्य स्तर पर योजनापरामर्शी (स्टेट प्लान एडवाईजर)	सदस्य
10.	निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश	सदस्य

योजना के कियान्वयन एवं सुचारु रूप से संचालन से संबंधित महत्वपूर्ण नीति विषयक निर्णय भी इसी समिति द्वारा लिये जायेंगे।

(3) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के प्रभावी नियोजन, क्रियान्वयन व अनुश्रवण तथा इसमें सन्निहित अनेकानेक गतिविधियों के सुचारु रूप से संचालन के लिए पंचायतीराज विभाग में परियोजना प्रबन्ध इकाई (पी0एम0यू0) का गठन किया जाता है। परियोजना प्रबन्ध इकाई (पी0एम0यू0) के मुखिया प्रमुख सचिव पंचायतीराज होंगे और उनके मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में पी0एम0यू0 कार्य करेगी। श्री राज्यपाल इस पी0एम0यू0 में निम्नलिखित पदों को, पदधारकों की नियुक्ति किये जाने अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जो भी पहले हो, दिनांक 29 फरवरी, 2008 तक के लिए सृजित करने की स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि यह पद पूर्णतः अस्थायी होंगे और किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त किये जा सकते है —

क0सं0	पदनाम / वेतनमान	पदों की सं0	अभ्युक्ति
1	परियोजना निदेशक (वेतनमान रु0 12000–16500).	1	यह [illegible] प्रतिनियुक्ति [illegible] जायेगा।
2	उपपरियोजना निदेशक (वेतनमान रु0	4	आवश्यकतानुसार [illegible] पदों को प्रतिनियुक्ति

	10000—15200)		पर पंचायतीराज, किसी अभियंत्रण सेवा व अन्य विभागों से भरा जा सकेगा।
3	कम्प्यूटर प्रोग्रामर (रु0 10,000 प्रतिमाह नियत वेतन राशि पर संविदा पर)	1	संविदा पर
4	आशुलिपिक (रु0 5000 प्रतिमाह नियत वेतन राशि पर संविदा पर)	4	संविदा पर
5	अनुसेवक(रु0 4000 प्रतिमाह नियत वेतन राशि पर संविदा पर)	6	संविदा पर

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—ई—2/1104/दस 2007, दिनांक 20 दिसम्बर, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0 के0 शर्मा) 28/12/07.

प्रमुख सचिव।

संख्या—2832(1)/33—3—2007, तद्दिनाक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।

2— स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

3— स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

4— प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/कार्मिक/ग्राम्य विकास/नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

5— आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

6— निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।

7— निदेशक, पंचायतीराज (लेखा) उ0प्र0 लखनऊ।

8— निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उ0प्र0 इलाहाबाद।

9— मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारिता एवं पंचायतें, उ0प्र0 लखनऊ।

10— सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

11– सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
12– सम्बन्धित मण्डलीय उप निदेशक, (पंचायत) उ0प्र0।
13– सम्बन्धित अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत उ0प्र0।
14– सम्बन्धित जिला पंचायतराज अधिकारी।
15– प्रभारी/उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 शासन।
16– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
17– पंचायतीराज अनुभाग–1/2
18– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एम0 एम0 खान)
विशेष सचिव।